



बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर

"सुन्दरवन", बरारी रोड, भागलपुर - 812003

दूरभाष सं० - 0641-2611818 ई० मेल: - cfbhagalpur-bih@gov.in / cfbgpr@gmail.com

पत्रांक: - 751

दिनांक: - 20-12-21

प्रेषक,

अभय कुमार,
वन संरक्षक,
भागलपुर अंचल, भागलपुर।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
- सह -
नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
बिहार, पटना।



विषय:

श्रीमती कुमारी लवली आनन्द द्वारा भागलपुर जिलान्तर्गत शिवरामपुर मौजा के खाता सं० - 35/8, खेसरा सं० - 08, 09, थाना सं० - 164, थाना - शाहकुंड में अकबरनगर-शाहकुंड SH-85 पथ के किनारे BPCL का Retail Out Let स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.19125 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग: -

भवदीय पत्रांक - FC-96/2021-622 दिनांक - 15.07.2021 तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमंडल का पत्रांक - 1080 दिनांक - 02.12.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा विषयाधीन परियोजना में वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर से BPCL का Retail Out Let स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ के निर्माण हेतु कुल - 0.19125 हे० वन भूमि की अपयोजन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्तावित Retail Out Let से अगले Retail Out Let की दोनों की तरफ की दूरी 04 कि०मी० है।

प्रस्ताव में अद्योहस्ताक्षरी के स्तर से भाग - III में आवश्यक प्रविष्टि करते हुए अनुशंसा सहित प्रस्ताव की पाँच प्रतियाँ मूल रूप में इस पत्र से संलग्न कर भेजा जाता है। प्रस्तावित स्थल पर स्थित पेड़ / पौधों के साथ एक जाँच प्रतिवेदन अलग से संलग्न है। प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा FRA - 2006 का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी, भागलपुर से निर्गत होने के उपरान्त भवदीय के कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा।

अनुरोध है कि एतद के संबंध में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

अनु०: - यथोक्त।

प्रस्ताव की पाँच प्रतियाँ मूल रूप में

विश्वासभाजन

वन संरक्षक

भागलपुर अंचल, भागलपुर